संख्या-4/2022/147/77-3-2022-153एम/2018टीसी-।।

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2022

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के साथ डिफेन्स कारिडोर परियोजना हेतु धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1794/यूपीडा/18/डिफेन्स-992 दिनांक 19.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़को तथा सेतुओ पर पूंजीगत परिवाय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कारिडोर परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" मद में प्राविधानित धनराशि रू. 15000.00 लाख में अवशेष धनराशि रू0 6651,26 लाख में से धनराशि रू. 100.00 लाख (रु एक करोड मात्र) आवंटित किये जाने हेतु यूपीड़ा के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(2) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-3423-दस-2021-22 दिनांक 28.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव

संख्या-4/2022/147(1)/77-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ पर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, 304,प्रयागराज।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।